कुटेशन नोटिस

कार्यालय जनपद न्यायाधीश,मेरठ

जनपद न्यायालय, मेरठ के प्रतिलिपि विभाग, सिविल में फोटो स्टेट मशीन से सत्यप्रतिलिपि तैयार करने हेतु लीगल साईज के कागज की आवश्यकता के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि विभाग सिविल की आख्या दिनांक 06.01.2017 पर जिला न्यायाधीश मेरठ के आदेश दिनांक–11.01.2017 के अनुपालन में क्रय समिति जनपद न्यायालय, मेरठ द्वारा पंजीकृत फर्म, डीलर्स, विक्रेता/निर्माता से कुटेशन आमंत्रित किये जाते है। उक्त कुटेशन दिनांक–19.01.2017 समय दोपहर 12:00 बजे तक नजारत, जनपद न्यायालय मेरठ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त कुटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कुटेशन में कागज की ब्रान्डेड कम्पनी का नाम, कागज की मोटाई, वजन, व अन्य गुणवत्ता आदि स्पष्ट होना चाहिए तथा नमूने के तौर पर कागज को सैम्पल के तौर पर रखें। उक्त कुटेशन क्रय समिति जनपद न्यायालय, मेरठ के समक्ष दिनांक–19.01.2017 को दोपहर पश्चात् अपराहन् 4:00 बजे तेरह न्यायालय भवन जनपद न्यायालय, मेरठ में खोले जायेंगे। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को किसी भी कुटेशन को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12/01/017	12/01/17	12.1.17
(शिवचन्द)	(विनय कुमार द्विवेदी)	(अरूण कुमार मिश्र)
सदस्य, क्रय समिति	सदस्य, क्रय समिति,	अध्यक्ष, क्रय समिति
मेरठ।	मेरठ।	मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतू।

1– नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

2– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।

3– नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

4– नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

5– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद की बेवसाईड पर अपलोड हेतू।